प्राक्कथन

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2019-24 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।